

न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला सुंशुनू (राज०)

पीठासीन अधिकारी :- श्री बृजेन्द्र सिंह राठौड़ (आर.टी.एस)

मुकदमा नम्बर:- 63/2020

निर्णय दिनांक :- 04.01.2023

सरकार बनाम श्री मदन पुत्र प्रहलाद जाति जोगी निवासी ग्राम कोट तहसील उदयपुरवाटी

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956


निर्णय दिनांक :- 04.01.20203


निर्णय

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी पटवार हल्का नांगल तथा भू.अ. निरीक्षक उदयपुरवाटी द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई है कि पटवार हल्का नांगल के ग्राम कोट में स्थित भूमि ख.न. 661 कुल रकबा 0.57 है 0 किस्म गै0मु0 पहाड़ में से 0.0300 है 0 सरकारी भूमि पर मकान निर्माण कर अप्रार्थी/अतिक्रमी श्री मदन पुत्र प्रहलाद जति जोगी ने अनाधिकृत रूप से मकानो का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/अतिक्रमियों को नोटिस जारी किये गये।

अप्रार्थी/अतिक्रमी द्वारा दिनांक 19.10.2020 को जरिये विद्वान अधिवक्ता ईश्वर सिंह उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया जबाब नोटिस पेश करने हेतु समय चाहा। अप्रार्थी/अतिक्रमी को जवाब नोटिस पेश करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया। अप्रार्थी/अतिक्रमी ने जरिये विद्वान अधिवक्ता जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया जवाब नोटिस निम्न प्रकार से है:- यह कि उत्तरदाता के उक्त मकान करीब 40-45 वर्ष से काविज है तथा इन रिहायसी मकानों के अलावा प्रार्थी के पास और कोई रिहायसी मकान उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी/अतिक्रमी ने अपने जवाब में उल्लेखित किया कि उक्त आराजी पर प्रार्थी की रिहायस राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने से पूर्व का कब्जा है। उक्त आराजी का प्रार्थी के पिता के नाम ग्राम पंचायत नांगल द्वारा दिनांक 05.07.1972 का पट्टा जारी किया हुआ है।

वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी के जवाब में यह तर्क दिया कि प्रार्थी पूर्णतया कृषि कार्य पर निर्भर है, जिस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 31(2) के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी को निःशुल्क भूमि प्राप्त करने का अधिकार है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया



  
तहसीलदार उदयपुरवाटी  
सुंशुनू

